दिनांक 26.07.2022
प्रेस विज्ञप्ति 26/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सराहनीय कार्य करने वाले दो आरक्षियों को प्रशस्ति–पत्र एवं पॉच–पॉच हजार रूपये नकद से पुरस्कृत किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा नई परम्परा की शुरूआत करते हुए क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को अपने कार्यालय में बुलाकर पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 26 जुलाई, 2022 को पुलिस मुख्यालय में उच्चाधिकारीगणों द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के दो आरक्षियों 01.आरक्षी संदीप यादव एवं 02. आरक्षी चन्दन सिंह को प्रशस्ति–पत्र एवं पॉच–पॉच हजार रूपये नकद से पुरस्कृत किया गया।

जनपद सिद्धार्थनगर में दिनांक 18.07.2022 को प्रथम श्रावण सोमवार के अवसर पर राप्ती नदी में स्नान के उपरांत जल भरते समय थाना डुमरियागंज क्षेत्रान्तर्गत भटँगवा निवासी दो नवयुवकों के नदी में डूबने पर मौके पर ड्यूटी पर मौजूद आरक्षी संदीप यादव एवं आरक्षी चन्दन सिंह द्वारा बहादुरी और साहस का परिचय देते हुए राप्ती नदी में कूदकर नवयुवकों की जान बचायी गयी।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 एवं अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, उ0प्र0 सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मुख्यालय

मुख्यालय

जनपद बरेली/थाना फतेहगंज पूर्वी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 04 लाख 18 हजार 700 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 25.07.2022 की रात्रि थाना फतेहगंज पूर्वी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गलथुआ को जाने वाली सडक पुख्ता के पास से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–विजय 2–गगन उर्फ गोला उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 04 लाख 18 हजार 700 रूपये नगद, आधार कार्ड, पासबुक आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 19.07.2022 को थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहगंज पूर्वी पर मु0अ0सं0–143/2022 धारा 394 भादवि पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध मे थाना फतेहगंज पूर्वी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विजय निवासी ग्राम शिवनगर थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

2–गगन उर्फ गोला उर्फ गोलू निवासी ग्राम तराखास गौटिया थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लूट के 04 लाख 18 हजार 700 रूपये नगद।

2–आधार कार्ड, पासबुक आदि।

जनपद आगरा/थाना कोतवाली

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट गये 04 लाख रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 25.07.2022 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानो से 05 अभियुक्तों 1–राजू 2–बसंत 3–नेत्रपाल 4–दो अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट गये 04 लाख रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.07.2022 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजू निवासी बाईया वाली गली रामनगर खन्दौली जनपद आगरा।

2–बसंत निवासी कृष्णानगर कालोनी थाना खन्दौली जनपद आगरा।

3–नेत्रपाल निवासी लवानिया कालोनी रामनगर थाना खन्दौली जनपद आगरा।

4–दो अभियुक्ता।

बरामदगी

1–लूट गये 04 लाख रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद उन्नाव/थाना मांखी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 26.07.2022 को थाना मांखी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रूकरना चौराहे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मोहसिन को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद उन्नाव, हरदोई, कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कासिमपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—213/2022 धारा 395/397/412/120बी भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मांखी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोहसिन निवासी 105/66 हलीम चौक फहीमाबाद थाना चमनगंज, कानपुरनगर।

बरामदगी

1—01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा।

2—01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली सदर

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 26.07.2022 को थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे क्रासिंग के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मो0रईश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद उन्नाव के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 25/2022 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0रईश निवासी शंकर पुरवा मगरवारा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना कैण्ट

- **06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 12 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 26.07.2022 को थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फुलवरिया के पास चेकिंग के दौरान 06 शातिर अभियुक्तों 1–रिंकू 2–सत्यम 3–अनिल कुमार 4–सुभाषचन्द्र 5–बद्रीनारायण 6–विरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थाना क्षेत्रों से दो पहिया वाहनो की चोरी कर उनका नम्बर प्लेट बदलकर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिंकू निवासी परसादपुर मंगारी थाना बड़ागाँव वाराणसी।

2–सत्यम निवासी मंगारी थाना बड़ागाँव वाराणसी।

3–अनिल कुमार निवासी हरिशंकरपुर थाना बड़ागाँव वाराणसी।

4–सुभाषचन्द्र निवासी नेवादा मंगारी बाजार थाना फुलपुर वाराणसी।

5–बद्रीनारायण निवासी जमालपुर थाना बड़ागाँव वाराणसी।

6–विरेन्द्र निवासी नेहिया थाना चोलापुर वाराणसी।

बरामदगी

1–चोरी की 12 मोटर साइकिल।

जनपद मथुरा/थाना कोतवाली

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 दो पहिया वाहन**
- **चोरी की 01 ऑटो टैम्पो बरामद**

दिनांक 25.07.2022 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भूतेश्वर के पास जल निगम के किनारे रेलवे लाइन के पास से 03 अभियुक्तों 1–राहुल 2–अजीत 3–श्यामसुन्दर उर्फ नहने को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 दो पहिया वाहन, 01 ऑटो टैम्पों बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानों पर चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद मथुरा एवं भिन्न भिन्न स्थानों से वाहनों की चोरी करके सस्ते दामों में बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राहुल निवासी चुरियाना मोहल्ला बाल्मीकि बस्ती भरतपुर गेट थाना कोतवाली जनपद मथुरा।

2–अजीत निवासी चुरियाना मोहल्ला बाल्मीकि बस्ती भरतपुर गेट थाना कोतवाली जनपद मथुरा।

3–श्यामसुन्दर उर्फ नहने निवासी ज्योति नगर कालोनी सोख रोड थाना कोतवाली जनपद मथुरा।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 05 दो पहिया वाहन।

2–01 ऑटो टैम्पों।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना सोनवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 60–60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए.एस.जे. /एफ.टी.सी. जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना सोनवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सराफत अली 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 60–60 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–45 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना जैदपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विक्रम रावत को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–45 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त निखिल सोनी को 14 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————